

श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय,  
एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड,  
श्यामो, आगरा- शमसाबाद रोड,  
आगरा, (यू0पी0)

**विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) एवं धारा 6  
(3) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।**

महोदय,

2 मई 2018 को आये विनास कारी तूफान के कारण ग्राम चितौरा ब्लॉक शमसबाद में पॉवर ग्रिड हाई टेंशन लाइन का खम्बा गिरने से आस पास के खेतों की फसल छति ग्रस्त होने के कारण उनके भूमि स्वामियों को दिये गये मुआबजे के सम्बन्ध में निम्न लिखित सूचनायें विवरण एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराये।

(क) पॉवर ग्रिड हाई टेंशन लाइन का खम्भा जिन जिन भूमि स्वामियों की भूमि पर गिरा उन सभी भूमि स्वामियों के नाम भूमि के विवरण के साथ उपलब्ध करायें।

(ख) पॉवर ग्रिड से जिन भूमि स्वामियों की फसलें बर्बाद हुयी उनकी फसल का विवरण एवं क्षेत्रफल की मांप दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करायें।

(ग) टूटे हुये पॉवर ग्रिड हाई टेंशन लाइन के खम्भे की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भूमि स्वामियों की सूची उपलब्ध करायें।

- (ग) ग्राम चितौरा में पॉवर ग्रिड हाई टेंशन लाइन के खम्भे के कारण बर्बाद हुयी फसल का मुआबजा जिन जिन भूमि स्वामियों को दिया गया है उन सभी लोगों की सूची उनके बर्बाद हुयी फसल के क्षेत्रफल की माप के साथ उपलब्ध करायें।
- (ङ) उन अधिकारियों एवं उन कर्मचारियों के नाम बताये जिन्होंने मोके पर पहुचकर स्थान का निरीक्षण किया।
- (च) दिये गये मुआबजे के सम्बन्ध में विभिन्न निर्देशो आदेशो एवं सर्कुलर की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध करायें।

आवेदन फीस के रूप में 10रु0 अलग से जमा कर रहा हूँ।

यदि मांगी गयी आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नही हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुये मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधी के अन्तर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बतायें।

संलग्नक— साथ में पोस्टल ऑर्डर नं0 37F193003 संलग्न है।

दिनांक 13-11-18

प्रार्थी

Gaurav Singh.

गौरव सिंह

ग्राम — चितौरा,

ब्लॉक— शमसाबाद, आगरा

मो0 9719008090